

उत्तर पश्चिम रेलवे



संख्या:- 32-E/o/Allowance

प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

दिनांक

54/2012

10.-5-2012

RBE No. 54/2012

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक— जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
 मुख्य कारखाना प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर, बीकानेर  
 उप मुख्य सामग्री प्रबंधक— अजमेर, जोधपुर  
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण— जयपुर  
 समस्त विभागाध्यक्ष / प्रका.— जयपुर .....  
 सचिव / महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक / सतर्कता प्रका.— जयपुर  
 मुख्य राजभाषा अधिकारी / प्रका.— जयपुर  
 अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड— अजमेर  
 प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान— उदयपुर  
 प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र— जोधपुर  
 उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.— जयपुर  
 सहायक सचिव / गोपनीय — महाप्रबंधक प्रका.— जयपुर  
 मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.— जयपुर  
 निजी सचिव / महाप्रबंधक, वित सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.— जयपुर.

विषय :- मार्गीय रेल स्थापना संटृप्ति, जिल्द ॥, 1987 संस्करण  
 (प्रिय पुनर्मुद्रित संस्करण 2005) अद्याय 14. मंटगाड़ एवं  
 अन्य प्राईकरात्मक भन्ते एवं संसोधन।

संदर्भ :- रेलवे बोर्ड पत्रांक द्वै (पी छंद) 1-2005/प्रबंध डार्पीष्ट -2

Dt. 23-4-2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 23/4/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंगन— यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 7. महासचिव— एनडब्ल्यूआरईयू        | 15 प्रतियाँ। |
| 8. महासचिव— यूपीआरएमएस            | 15 प्रतियाँ। |
| 9. महासचिव— एससी / एसटी एसो.      | 15 प्रतियाँ। |
| 10. महासचिव— ओबीसी एसो.           | 05 प्रतियाँ। |
| 11. महासचिव— पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 प्रतियाँ। |

2  
 (आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक / कार्मिक



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)



02 MAY 2012

आस बी ई.सं. 54/2012

✓ GM  
✓ PO  
✓ पुराप (HND)  
Q 0  
36  
✓ 2012  
✓ 4/5

सं.ई (पी एंड ए) I-2004/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दि. 23.04.2012

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, NWR, नवाचूर  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय : भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्ड II, 1987 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण 2004) अध्याय 14-मंहगाई एवं अन्य प्रतिकरात्मक भर्ते में संशोधन।

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्ड II, 1987 संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-2004) के नियम 1425 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 59 के अनुसार संशोधित किया जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3. कृपया पावती दें।

संलग्नक - शुद्धि पर्ची।

(के. शंकर)

निदेशक, स्था. (वेतन एवं भर्ते)  
रेलवे बोर्ड

सं.ई (पी एंड ए) I-2004/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दि. 23.04.2012

उप नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक (रेलो), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं.ई (पी एंड ए) I-2004/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दि. 23.04.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. विसमुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि।
2. महाप्रबंधक और विसमुलेधि, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
3. मुख्य संरक्षा आयुक्त, सभी भारतीय रेलें।

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, १९८७ संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रित संस्करण-२००५)  
अध्याय १४-मंहगाई एवं अन्य प्रतिकरात्मक भत्ते के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. ५१

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II, १९८७ संस्करण (द्वितीय पुनर्मुद्रण-२००५) के अध्याय १४ के नियम १४२५ में निम्नलिखित संशोधन किए जाएः-

नियम १४२५ -रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों को अनुज्ञेय भत्ते:-

१. राशन भत्ता.  
पैरा १(घ) को हटाया जाए.

Directorate of Financial Control and Audit  
Ministry of Railways  
New Delhi-110001  
Date: 22.01.2005  
Copy to the Secretary, Comptroller and Auditor General of India,  
New Delhi-110001  
For information and record.

शारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD )

RBE No. 54 /2012

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi dated 23.04.2012.

The General Managers/FA&CAOs,  
All Indian Railways and Production Units etc.


Sub: Amendment to the Indian Railway Establishment Code, Volume II, 1987  
Edition (Second Reprint 2005) Chapter 14 - Dearness and other Compensatory  
Allowances.

\*\*\*\*

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution,  
the President is pleased to direct that Rules 1425 of the Indian Railway Establishment Code,  
Volume-II, 1987 edition (Second Reprint 2005) may be amended as in the enclosed Advance  
Correction Slip No. 59

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Please acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.


  
(K. Shankar)  
Director Estt.(P&A),  
Railway Board

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi dated 23.04.2012.

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room  
No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

DA: Correction slip.

  
for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2005/ALL/RPF-2

New Delhi dated 23.04.2012.

Copy forwarded to:-

- 1) FA &CAOs, All Indian Railways & Production Units etc.
  - 2) The General Manager and FA&CAO, Metro Railway, Kolkata.
  - 3) The Chief Security Commissioners, All Indian Railways.
  - 4) The Commandants, Railway Protection Special Force,
- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) No. 1 Battalion, Lumding    | g) No. 7 Battalion, Moula Ali,<br>Secunderabad. |
| b) No. 2 Battalion, Gorakhpur. | h) No. 8 Battalion, Chittaranjan.               |
| c) No. 3 Battalion, Lucknow.   | i) No. 9 Battalion, Jagadhari.                  |

ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE,  
VOLUME-II, 1987 Edition- (SECOND REPRINT - 2005) Chapter 14 - Dearness and other  
Compensatory Allowances.

Advance Correction Slip No. 59

The following amendments may be made to Rule 1425 of Chapter 14 of the Indian Railway Establishment Code, Volume-II, 1987 Edition (Second Reprint - 2005):-

**Rule 1425- Allowances admissible to RPF/RPSF personnel:-**

**1. Ration Money Allowance.**

Para 1 (d) is deleted.